न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 37/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00037)

श्री लक्ष्मण सिह पुत्र श्री ठाकर सिह जाति जट सिख निवासी बिहलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट हाल आबाद बलवीर बस्ती गली संख्या 9, एल फरीकद कोट तहसील व जिला फरीकोट (पजाब)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर
2. बलवीर सिह पुत्र श्री दमन सिह जाति जट सिख निवासी रामगढ तहसील नोहर।

रेस्पोडेंन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार पारीक –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 28–12–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार नोहर में दिनांक 25.10.2016 प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयतनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज कर तस्दीक करने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.09.2017 द्वारा वसीयतग्रहिता के काबिज नही होने एवं उक्त भूमि जरिए मुखत्यारनामा बैचान की संभावना होने के कारण विवादित होने पर वसीसत पत्रावली को खारिज कर दिया। तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट ने अपर जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 18.09.2017 को निरस्त कर विवादित भूमि मुताबिक वसीयत दिनांक 27.07.2005 के आधार पर अपीलान्ट के नाम इंन्तकाल दर्ज करने के आदेश देने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.05.2018 अपीलान्ट की

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के दादा नायब सिह ने अपनी स्व अर्जित कृषि भूमि वाके चक 16 डी पी एन जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता सं. 90/72 की कुल 1.3410 हैक्टेयर की वसीयत अपीलान्ट के हक में दिनांक 27.07.2005 को तहरीर कर कार्यालय उप पंजीयक फरीदकोट (पंजाब) मे रजिस्टर्ड करवा दी। अपीलान्ट के दादा नायब सिह की दिनांक 04.10.2011 को मृत्यु हो गई। अपीलान्ट ने दादा की मृत्यु के बाद जरिये वसीयत इंतकाल अपने नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार नोहर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार नोहर ने सार्वजनिक सूचना जारी की व हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार नोहर ने गवाहान् के बयान लिये बगैर पटवारी की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त भूमि पर ढाणी बनी हुई मानकर कृषि भूमि विवादित होने की सभावना के कारण इन्तकाल तस्दीक करने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 25.05.2018 को खारिज कर दी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा तहसीलदार नोहर के समक्ष कथित मुखत्यारनामा व इकरारनामा पेश होना बताया गया है, जो रजिस्ट्र्ड बैयनामा जैर अपील का नही है। इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय मे किसी तरह के अधिकार अर्जित नही होता है, और ना ही राजस्व न्यायालय में किसी तरह की कानूनी चाराजोई नही हो सकती है। इकरारनामा के आधार पर केवल सिविल न्यायालय मे ही चाराजोई हो सकती है। तहसीलदार नोहर ने केवल मात्र विवाद होने की संभावना के आधार पर अपीलान्ट का इंतकाल का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। विधिक प्रक्रिया मे सभावना का कोई स्थान नही होता जो भी आदेश पारित किया जाता है वह पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व तथ्यो के आधार पर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पारित किया जाता है न कि संभावनाओ के आधार पर । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर फैसला हर दो अदालत निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम कृषि भूमि चक 16 डी पी एन खाता सं. 90/72 की कुल 1.3410 हेक्टेयर का इंतकाल वसीयत के आधार पर तस्दीक किये जाने का आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे वसीसत के आधार पर इतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त भूमि पर मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नही है वहा पर बलवीर सिह की ढाणी बनी हुई है एवं भूमि पर काश्त करता है। उक्त विवादित भूमि की अपीलान्ट अपने पक्ष मे दिनांक 27.07.2005 की एक तथाकथित वसीयत बता रहा है जबकि उक्त भूमि का जरिये एग्रीमेन्ट द्वारा बैचान दिनांक 27.07.2005 पहले ही हो चुका था। जब भूमि का पहले ही बैचान हो गया तो फिर वसीसत केसे की गई। इसके अलावा तहसीलदार नोहर के निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट की प्रथम अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय में लाई करती थी। अपीलान्ट को प्रथम अपील इस न्यायालय मे पेश करनी चाहिए थी, द्वितीय अपील इस न्यायालय मे लाई नही करती है। अपील मे वर्णित भूमि बाबत इन्ही पक्षकारो के बीच सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अपीलान्ट की वसीयत अवैध है, मौके पर कब्जा काश्त नही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में में RRD 2010 पृष्ठ 556, RRD 2008 पृष्ठ 383, राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्युल सेक्शन 135 (2), का न्यायिक दृष्टांत पेश श किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के द्वारा तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 18.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत अपील में दिनांक 25.05.2018 को पारित किया गया है। वास्तव में तहसीलदार नोहर के द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तकरण प्रकरण में सुनवाई राजस्थान भू–राजस्व

अति. संभागीय आयुक्त
नोहर

अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत की जाती है जिसकी प्रथम अपील संभागीय आयुक्त के न्यायालय में संधाारण योग्य होती है। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 25.05.2018 क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण अपास्त किया जाता है, तथा इस अपील को प्रथम अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 18.09.2017 व पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन भूमि चक 16 डी पी एन के खाता सं. 90/72 की कुल 1.3410 हैक्टेयर खातेदारी श्री नायबसिह पुत्र गुरबक्स सिह जाति जट सिख के नाम से दर्ज थी, जिसके सम्बन्ध मे अपीलान्ट ने नायबसिह की पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.07.2005 के आधार पर नामान्तकरण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर के समक्ष दिनांक 25.10.2016 को प्रस्तुत किया तहसीलदार नोहर ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की उसके मुताबिक उक्त भूमि पर मौके पर श्री बलवीर सिह काबिज है तथा अपीलाधीन भूमि का विक्रय जरिये मुख्त्यार आम अन्य को किया जा चूका है। इसी को आधार बनाकर तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज किया गया है। दौराने अपील एक सिविल वाद सं. 135/2018 सिविल न्यायाधीश नोहर के न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा नायब सिंह के मुख्त्यारआम की हैसियत से किये गये इकरारनामा के आधार पर नाजर सिह पुत्र बसन्तसिह जाति जट सिख द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं. 119/2018 में दिनांक 25.10.2018 को रहन बैय पर स्थगन आदेश जारी किया है। दावे व स्थगन प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट भी पक्षकार है। नामान्तकरण एक Fiscal कार्यवाही है स्वत्व का निर्धारण नियमित सिविल वाद मे तय होना है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध मे वर्तमान मे सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण अपीलाधीन तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 18.09.2017 में किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर